न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान ममता बनाम जीताराम आदि

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 201 /2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
25.07.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। केवियट प्रार्थना–पत्र अपील के साथ संलग्न किया गया। धारा 96 सीपीसी के बिन्दू पर सुना गया। अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने संतोष पत्नी मुंशीराम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.10.2020 को 1.8404 है0 कृषि भूमि खरीद की है। तथा दिनांक 26.12.2020 को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 को पक्षकार बनाया गया है। अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा है। इस कारण अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 ने रेस्पोडेण्ट सं0 3 से उसका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.12.2020 को अपीलाण्ट को पक्षकार बना दिया है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में कोई कानूनी रूकावट नहीं है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश की औरत है उसे कानूनी प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं है। अपीलाण्ट ने रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने दिनांक 18.01.2023 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 6 के जवाब प्रार्थना–पत्र का कोई विवेचन नहीं किया व पत्रावली में आगामी दिनांक 10.02.2023 मुकर्रर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कर दी। अपीलाण्ट अपने द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा के द्वारा खरीद की गई भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है। अपीलाण्ट ने अन्य अधिवक्ता से कानूनी राय ली तब अपीलाण्ट को यह विधिक राय प्राप्त हुई की आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलाण्ट उचित आदेश प्राप्त कर सकती है। इस पर अपीलाण्ट ने दिनांक 20.07.2023 को आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त की। पूर्व में अपीलाण्ट को कानूनी राय न मिलने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे।

अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलाण्ट ने पक्षकार बनते ही आगामी पेशी पर जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.01.2023 को पेश कर दिया। लेकिन आक्षेपित आदेश पर अपीलाण्ट को सुना नहीं गया। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में कानूनी राय मिलने पर व दिनांक 20.07.2023 को आक्षेपित आदेश की नकल प्राप्त होने पर उक्त अपील पेश की है। मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 ने रेस्पोडेण्ट सं0 3 से उसके हिस्से की भूमि दिनांक 09.10.2020 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 ने उक्त आक्षेपित आदेश का ज्ञान होते ही पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो दिनांक 26.12.2022 को स्वीकार हुआ तत्पश्चात् दिनांक 18.01.2023 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया लेकिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने न तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित शीर्षक पेश किया न ही शेष पक्षकारों की तलबी करवाई। अपीलाण्ट ने संतोष से उसके हक हिस्सा की भूमि खरीद की है। रेस्पोडेण्ट सं0 3 संयुक्त खातेदार था जिसे भूमि का विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है, जिसे 30 दिन के भीतर निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे निस्तारित नहीं किया तथा ना ही रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अन्य पक्षकारेां की तलबी करवाई। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के भाई मनीराम ने भी एकपक्षीय स्थगन ले रखा है। इसकी अपील भी अपीलाण्ट ने आज ही माननीय न्यायायल में पेश की है। अपीलाण्ट आक्षेपित आदेश से विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। अतः आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे डीएनजे 2015 (1) राज0 पेज 81, डीएनजे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 1381, आरआरटी 2014 (1) पेज 265 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलाकन किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.2023 को जवाब प्रस्तुत कर दिया लेकिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने न तो संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया न ही अन्य पक्षकारेां की तामील करवाई। जबकि एकपक्षीय स्थगन आदेश को 30 दिन के भीतर तय करने के प्रयास किये जाने चाहिए थे। अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा है एवं आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है। आक्षेपित आदेश में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। उक्त परिस्थियों में अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड

Lavo

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी नोहर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.10.2020 अनवान जीता राम बनाम संतोष प्र0 सं0 138/2020 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण व प्रकरण सं0 66/2023 अनवान मनीराम बनाम जीताराम के साथ उक्त पक्षकारों को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ... 25.7.23 ... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़